न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग)राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 01/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर राज0

वादी

बनाम

मुकुटबिहारी पुत्र रामचन्द जाति वैश्य निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश शर्मा वकील प्रतिवादी

दिनांक :— 14/09/2023

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 430/166/0.17 हैक्टर किस्म चाही प्रथम बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 430/166/0.17 में अकृषि पक्का निर्माण प्रयोजनार्थ उक्त भूमि को अकृषि के उपयोग में ली जा रही है। जिस हेतु प्रतिवादी ने कृषि भूमि को संपरिवर्तन का कोई सक्षम आदेश प्राप्त नहीं कर रखा है तथा मौके पर यह कृषि भूमि अब पुनः कृषि करने के योग्य नहीं है। प्रतिवादी के इस कृत्य की देखा देखी व अन्य लोग भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है। जिससे भविष्य में कृषि सम्बन्धी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। भविष्य में क्षेत्र के विकास में बाधक होगी। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 430/166/0.17 भूमि पर बिना किस्म संपरिवर्तन आदेश के अकृषि पक्का निर्माण किया हुआ है। इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी मय वकील न्यायालय में उपस्थित आया । दिनांक 12/01/2023 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 430/ 166/0.17 हैक्टर किस्म चाही प्रथम बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में स्थित है। जिसका प्रतिवादी रिकॉर्डेड खातेदार काबिज आराजी है जिसमें प्रतिवादी ने अपनी आराजी में पशु वगैराह के लिये चारा भरने व कृषि यंत्रो के रख रखाव व सुरक्षा के लिये बाउन्ड्री कर रखी है एवं अन्य प्रयोग के लिये

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

8. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 8 जिस कदर बयान की गई है, कतई स्वीकार नहीं है ।

9. यह है कि वाद पत्र की मद सं0 9 कानूनी है ।

Scanned with OKEN Scanner

कोई बाउन्ड्री बाल नहीं कर रखी है। अतः निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :– आया प्रतिवादी ने आराजी खसरा नम्बर 430/166/0.17 हैक्टर किस्म चाही प्रथम बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में पक्का निर्माण कर रखा है जिसे राजकीय भूमि घोषित करा पाने के अधिकारी है।

............वादी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी खससरा नम्बर 430/166/0.17 हैक्टर में पशु वगैराह के लिये चारा भरने व कृषि यंत्रो के रख रखाव व सुरक्षा के लिये बाउन्ड्री कर रखी है।

.............प्रतिवादी

3. दादरसी :–

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण दिनांक 25/07/2023 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी0डब्लू0 1 मुकटबिहारी, को शपथ पत्र पेश किये । वकील प्रतिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रतिवादी पेश ना करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा क़े समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट पटवारी हल्का लाडमका दिनांक 28/07/2023 पेश की है।

तहसीलदार पहाडी से आराजी के वर्तमान मौके की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट ग्राम माधोगढ के आराजी खसरा नम्बर 430/166/0.17 हैक्टर की हाल स्थिति का जायजा लिया गया । मौके पर उक्त भूमि का मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–78 स्थायी में प्रतिवादी मुकुटबिहारी पुत्र रामचन्द के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त खसरा नम्बर के चारो ओर भूमि तल से लगभग 12 फीट ऊंची चारदीवारी की हुई है इसमें उत्तर दिशा की ओर 20 फीट चौडाई का मेड के साथ–साथ बरामदा व बना हुआ है एवं पश्चिम व दक्षिण दिशा में टीन सैट डाली हुई है जिसमें मौके पर पशु (चार भैंस) बंधे हुये एवं दो कटर (कृषि यंत्र) खडे हुये है एवं पूर्व दिशा की ओर पक्का कमरा बना हुआ हे जो वर्तमान में खाली है उक्त खसरा नम्बर में मौके पर इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होना पाया गया।

बहस वादी एवं वकील प्रतिवादी सुनी गई । हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया । पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया प्रतिवादी ने आराजी खसरा नम्बर 430/166/0.17 हैक्टर किस्म चाही प्रथम बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में पक्का निर्माण कर रखा है जिसे राजकीय भूमि घोषित करा पाने के अधिकारी है।

खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था तहसीलदार पहाडी तत्समय पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुये दावा पेश किया था । साक्ष्य के दौरान तहसीलदार पहाडी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रतिवादी ने उक्त विवादित आराजी पर अकृषि कार्य किया हो। अपितु प्रतिवादी ने विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पटवारी प्रस्तुत की है। जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि मौके पर पशु वगैराह बंधे हुये है एवं दो कटर (कृषि यंत्र) खडे हुये है एक पक्का कमरा बना हुआ है जो पशुओं के लिये चारा भरने एवं कृषि यंत्रो के रखरखाब हेतु काम आ रहा है। जो वर्तमान में खाली है। वादी उक्त तनकी को सिद्ध करने असफल रहा है। अतः यह तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी खससरा नम्बर 430/166/0.17 हैक्टर में पशु वगैराह के लिये चारा भरने व कृषि यंत्रो के रख रखाव व सुरक्षा के लिये बाउन्ड्री कर रखी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था । जबाब प्रतिवादी एवं विवादित आराजी की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पटवारी से यह बखूबी प्रमाणित है कि मौके पर पशु वगैराह बंधे हुये है एवं दो कटर (कृषि यंत्र) खडे हुये है एक पक्का कमरा बना हुआ है जो पशुओं के लिये चारा भरने एवं कृषि यंत्रो के रखरखाब हेतु काम आ रहा है। जो वर्तमान में खाली है। प्रतिवादी उक्त तनकी को सिद्ध करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में यह तनकी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1,2 वाहक प्रतिवादी निर्णित हो गई है । अतः वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। दावा वादी प्रमाणित नहीं होने के कारण काबिले खारिज के है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी प्रमाणित न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

... जस कदर बयान की गई है,

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 01 / 2021
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर राज0

वादी

बनाम

मुकुटबिहारी पुत्र रामचन्द जाति वैश्य निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 177 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 .... व हाजिरी वकील वादी XXXX मिनजानिव वकील प्रतिवादी उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि **दावा वादी प्रमाणित न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।**

आज ..... X ...... मुवलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .. .. X ....तक अदा करें।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14–09 सन् 2023 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		